उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-119/2019/1440/92-2-2019-24एम/2019,
लखनऊ :: दिनांक:: 22 अगस्त , 2019

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-सोनभद्र में निर्माण कार्यों का भुगतान रोके जाने एवं विभागीय अधिकारी के रूप मे प्रखण्डीय कार्यालय सोनभद्र का वातावरण अनुकूल न रखने व निर्माण कार्यों के सुचारू रूप से संपादित न कराये जाने, उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-22 में सरकारी कर्मचारी को एक सीमा से अधिक उधार देना और उधार लेना जो कि प्रतिबंधित है के लिए ठेकेदार श्री आलोक सिंह से 3.00 लाख रूपये उधार लेने हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री रजितराम, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड सोनभद्र सम्प्रति प्रखण्ड झांसी के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासनिक एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल गोरखपुर को पदेन जांच अधिकारी तथा प्रकरण में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड सोनभद्र को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जांच अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जांच कि कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण करते हुए जांच आख्या शासन को तत्काल उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 119/2019/1440(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकण में आरोप पत्र गठित कर शासन को तत्काल उपलब्ध करायें। (जांच समिति की जांच आख्या की प्रति संलग्न)
2- जॉच अधिकारी/ अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल गोरखपुर।
3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-सोनभद्र द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- श्री रजितराम, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड सोनभद्र सम्प्रति प्रखण्ड झांसी द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in